महत्वपूर्ण एवं खास

गर्भवती महिलाओं के लिए राइनो को मिल रहा है मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले के भूपदेवपुर, चक्रधरनगर, धरमजयगढ़ एवं घरघोड़ा राइनो को दिनांक 22.12.2019 को प्रसव पीड़िता को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट दिया गया । राइनो अपने रिस्पांस टाइम पर पीड़िता के घर पहुंच कर उसे अस्पताल पहुंचाया गया है ।

भूपदेवपुर राइनो को ग्राम कछार की रहने वाली सरिता सिदार पति नारायण सिदार उम्र 24 वर्ष के लिए सुबह 6:00 बजे इवेंट प्राप्त हुआ था ।

चक्रधरनगर राइनो को सुबह 7:00 बजे पहाड़ मंदिर के पास रहने वाली पुष्पा यादव पति केशव यादव उम्र 30 वर्ष के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट प्राप्त हुआ था ।

धरमजयगढ़ राइनो को ग्राम ओंगना में रहने वाली निर्मला लकड़ा पति संजय लकड़ा उम्र 20 साल के प्रसव पीड़ा के लिए इवेंट मिला था तथा घरघोड़ा राइनो को ग्राम रूमकेरा में रहने वाली लता मिंज पति मारकुश मिंज उम्र 26 वर्ष के लिए मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट मिला था, जिन्हें निकटतम अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है ।

24 दिसम्बर मतगणना के दिन समस्त देशी व विदेशी मंदिरा दुकानें रहेगी बंद

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन/उप निर्वाचन 2019 हेतु 24 दिसम्बर 2019 मतगणना के अवसर पर रायगढ़ जिले में समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2घघ) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ) दुकानें, एफ.एल-3 होटल बार तथा भण्डारण भाण्डागार को संपूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने संबंधित विभाग प्रमुख को शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थान से बिक्री एवं परिवहन न होने पाए इसका कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

अम्बिकापुर में भीषण सड़क हादसा

अम्बिकापुर। तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी. हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बस यात्रियों को उतार रही थी. पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस 30 फीट तक घिसटने के बाद पलट गई. बस के पलटते समय एक बाइक चालक भी बस की चपेट में आ गया. बाइक सवार समेत 8 लोग घायल बताये जा रहे हैं. वही 2 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताया जा रहा है. घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया है.

हाथी के कुचलने से एक व्यक्ति की मौत

गरियाबंद (आरएनएस)। जंगली हाथी के कुचलने से एक ब्यक्ति की मोइट हो गई ।जिसमें मिली जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र धवलपुर के अन्तर्गत सिकासर के नजदीक ग्राम पंडरीपानी निवासी बिरसिंग यादव उम्र 55 वर्ष बीते शनिवार को मवेशी चराने जंगल गया था ।उसी दौरान पंडरी पानी के जंगल के वन कक्ष क्रमांक 775 में जंगली हाथी के द्वारा बिरसिंग को कुचलकर मारड़ाला गया जिसके चलते बिरसिंग रात को घर नही लौटा ।इससे परेशान मृतक के परिजन और ग्रामीण के द्वारा जंगल मे जाकर उसकी तलाश किये तब बिरसिंग जंगल मे मृत अवस्था मे मिला । इस बात की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दिया गया वही वन विभाग मौके पर पहुचकर मृतक के शरीर को गाँव तक लेकर आये और मृतक के परिजनों को 25000 रुपये तात्कालिक सहायता राशि प्रदान कर शव को पोस्टमार्डम के लिए ले जाया गया ।गौरतलब है कि पिछले दो माह से गरियाबंद वन मंडल और उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के ओड़िसा जंगल मे 30 जंगली हाथी के टोली उत्पात मचाये हुए है ।लेकिन आजतक किसी प्रकार की जनहानि नही किये थे ।और अब हुए जनहानी के चलते वन विभाग सतर्क हो गई है साथ ही उन क्षेत्रों में किसी ब्यक्ति को अकेले जंगल न जाने की मुनादी करवाया जा रहा है ।

आखिरकार न्यायालय ने सुनी पुकार न्याय की बंधी आस - तीजमति उरांव

लगातार

दैनिक न्याय साक्षी में दिनांक 09 सितंबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था...

» अनुसूचित जनजाति आयोग के संज्ञान पर भी नहीं हुई थीं कार्यवाही
» अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी करेंगे जॉच
» पीड़ित परिवार ने सामाजिक न्याय संघ को दिया धन्यवाद्
» जूटमिल पुलिस के अधिकारी भी हैं प्रकरण में शामिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। सामाजिक न्याय संघ को दिए अपने आवेदन में तीजमती उरांव पति स्व. श्री तिलकराम उरांव, निवासी ग्राम - केनापाली, ने बताया था कि, वो अनुसूचित जनजाति की सदस्या हैं, औरे उनके दो पुत्र 1/ सनद कुमार, उम्र 33 वर्ष 2/ राजेश कुमार (हत्प्राण) एवं पुत्री ललिता उम्र 28 वर्ष हैं। कहा कि, उनके पुत्र राजेश कुमार उरांव, उम्र - 26 वर्ष, विगत तीन वर्ष से, श्यामलाल पटेल पिता श्री केशव पटेल का पैरा काटने एवं ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता था। बताया कि, उक्त श्यामलाल पटेल और टीकाराम पटेल के द्वारा मेरे पुत्र के अलावा भी कुछ लोगों का अपने यहॉ काम पर रखा था, जिनके नाम कार्तिकराम उरॉव एवं प्रेमचंद यादव है।

रायगढ़ का सबसे हाई-प्रोफाईल मामला - क्या थीं घटना!

कहा कि, इसी तारतम्य में उनका पुत्र दिनॉक 4 जनवरी 2019 को श्यामलाल पटेल के आदेश पर तमनार क्षेत्र में पैरा काटने हेतु गया था, उसके साथ में कार्तिकराम उरांव एवं प्रेमचंद यादव भी गये थे। कहा कि, मेरे पुत्र के पास माबाईल है, जिससे वो हम लोगों से बात करता रहता था। दिनॉक 19/01/2019 को उनके पुत्र का फोन शाम करीब 7.00 से 8.00 के बीच आया तो उसने मुझसे (तीजमति) से बात कर बताया कि वो वापस आ गया है, थोड़ी देर में घर वापस आ रहा है। रात्रि के 10 बजे तक हमने उसका रास्ता देखा, फिर फोन किया तो राजेश का फोन नेटवर्क कव्हरेज से बाहर बता रहा था। तत्पश्चात उसी दिनॉक 19 जनवरी 2019 को रात्रि लगभग 1 बजे मेरे लड़के के बड़े पिताजी लच्छीराम उरांव के मोबाईल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया गया, और कहा गया कि क्या आप राजेश उरॉव को जानते हैं? हॉ कहने पर उसने बताया कि राजेश उरांव की मृत्यु हो गई है, रायगढ़ मुख्य अस्पताल आकर देख लें। उक्त खबर से हमारा पूरा परिवार परेशान हो गया, और परिवार वाले तत्काल अस्पताल पहुँचे।

विरोधी पक्ष ने आखिर क्यों नहीं दी कोई सूचना?

कहा कि, इस घटना के बारे में उक्त श्यामलाल पटेल (मालिक) व टीकाराम पटेल के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही हमसे कोई संपर्क किया गया। श्यामलाल पटेल द्वारा इस दुर्घटना के बारे में पूछ-ताछ करने पर टाल-मटोल किया गया एवं साक्ष्य को छिपाया गया, बीच में टीकाराम पटेल जो करना है, कर लो, करा लो, बोलता रहा।

लड़के की मौत से पिता की हुई असामयिक मौत!

जवान पुत्र के गुजर जाने के सदमें से, पुत्र की अस्थि ले जाते समय, मेरे पति तिलकराम उरांव को भी हार्ट अटैक आ गया। जिसके कारण दिनांक 22.01.2019 को उनका निधन हो गया, जिससे भी हमारा परिवार बेहद आहत हुआ। राजेश के मामले में कहा कि, प्रथम दृष्टया यह द्वेषपूर्ण हत्या का मामला है, और कहा कि, उन्हें पूरा संदेह है, कि उनके पुत्र की मुॅह-नाक दबाकर हत्या की गई है, और हत्या के साक्ष्य को भी छुपाया है।

दूसरे के ट्रेक्टर के कागज आखिर क्यों दिए गए?

कहा कि, मेरा पुत्र राजेश कुमार उरांव, श्यामलाल पटेल के आयशर ट्रैक्टर को चलाता था, किन्तु श्यामलाल पटेल द्वारा दूसरे ट्रैक्टर का पेपर एवं नंम्बर थाने में जमा किया, जो कि पूर्णतः फर्जी है, जिससे पूरा संदेह है, कि राजेश की हत्या के साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि, मेरे द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दूसरे ट्रेक्टर के मालिक प्रशांत कुमार नायक को उक्त सम्बंध में विधिक सूचना-पत्र भिजवाया था, जिसका उसके द्वारा तय समय सीमा में कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे भी हत्या के अपराध के प्रमाणन् को बल मिलता है।

पुलिस के विरुद्ध भी लगा है प्रकरण!

कहा कि, पुलिस के द्वारा भी इस हत्या के प्रकरण में न्यायोचित जॉच नहीं की गई है, अतः पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रकरण में संस्थित किया गया है। कहा कि, इस सम्बंध में मेरे द्वारा सामाजिक न्याय संघ की मदद से आवेदन मय शपथ-पत्र राज्यपाल महोदय, मानवाधिकार आयोग, भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री, उमेश पटेल जी, पुलिस महानिदेशक, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, श्रीमान् एस0पी0 महोदय, थाना प्रभारी, थाना जूटमिल, एवं थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, को भेजा गया हैं।

अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान नहीं हुई कार्यवाही

कहा कि, भेजे गए आवेदन पर, अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा संज्ञान लिया जाकर श्रीमान् कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया गया, जिसपर कलेक्टर महोदय ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय को जॉच किए जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसपर तहसीलदार ने आर0आई0 को ग्राम में भेजा और जॉच पंचनामा कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, अतः इस आवेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हुई।

आवेदन में प्रस्तावित आरोपीगण के विरुद्ध ये हैं धाराएं!

120 ख, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 204, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, भा0द0वि0, अंतर्गत धारा 3, 3(2)(5) (भा0दं0सं0 1860 में 45 के अधीन), एवं धारा 4 लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 घटना दिनॉंक 19/01/2019 से लगातार, घटना स्थल - ग्राम केनापाली, थाना जूटमिल रायगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0।

ये कहा है न्यायालय ने अपने आदेश में

माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में तीजमति के आवेदन को स्वीकार किया और कहा कि प्रस्तुत आवेदनपत्र के सम्बंध में उप पुलिस अधीक्षक रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आवश्यक अन्वेषण/जॉच करें तथा प्रस्तावित आरोपीगण के द्वारा अपराध कारित किया जाना पाये जाने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें या खात्मा प्रतिवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ को न्यायालय के द्वारा ज्ञापन जारी किया गया है।

ओड़िशा से पिकअप के जरिये लायी जा रही अवैध धान की खेप पकड़ाई

» टी.आई. वासनिक के नेतृत्व में विशेष टीम द्वारा फिर की गई अवैध धान पर बड़ी कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। दिगर प्रांत के धान को जिले में निषेध करने के लिए प्रशासन व जिला पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है । पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर निरीक्षक आशीष वासनिक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा आज दिनांक 22.12. 2019 के सुबह पुनः मुखबीर सूचना पर सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उड़ीसा की ओर से पिकअप वाहन में लाई जा रही अवैध धान की बड़ी खेप को ग्राम साकरा के पास पकड़ा गया जिस पर पुलिस व मंडी अधिकारियों द्वारा पृथक- पृथक कार्यवाही की गई है।

नगरीय निकाय के लिए दिनांक 21.12.2019 को जिले के सरिया थाना क्षेत्र में नगर पंचायत सरिया के 15 वार्डों में भी मतदान किया जा रहा था । पुलिस

चुनावी सुरक्षा व्यवस्था में लगे होने कि सोचकर आरोपी द्वारा ओडिशा की धान को जिले में लाकर खपाने की योजना से लाया जा रहा था । निरीक्षक आशीष वासनिक द्वारा आरोपी की योजना को भांप कर अपनी विशेष टीम के कुछ सदस्यों को बॉर्डर के रास्ते प्रवेश होने वाले वाहनों को चेक करने तथा मुखबिरों को सक्रिय कर सूचना देने लगाये हुए थे कि आज सुबह पिकअप वाहन में अवैध धान ओडिशा से निकलने की सूचना मुखबिर द्वारा टी.आई. वासनिक को दिया गया जिस पर टीआई वासनिक सुबह भोर से ही स्टाफ सांकरा मार्ग पर नाकेबंदी के लिए लगाये हुए थे कि सुबह करीब 07.00 बजे वाहन क्र ओडी-17 एस 0518 का चालक जिले के सांकरा ग्राम में प्रवेश कर रहा था जिसे प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव द्वारा हाथ देखकर रोकने का प्रयास किया गया पिकअप वाहन का चालक वाहन रोककर तेज गति से वाहन भगाता आगे बढ़ा इसे स्टाफ द्वारा वाहन से पीछा कर पकड़े । पिकअप चालक ने अपना नाम दिलीप पिता जयदेव मिर्धा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कोड़पल्ल थाना अम्बाभोना जिला बरगढ़ उड़ीसा बताया ।

पिकअप में 75 बोरी धान वजन 30 क्विंटल लोड़ था । पुलिस स्टाफ द्वारा चालक से पूछताछ कर कागजातों की मांग किए, चालक से समाधान कारक जवाब व दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस स्टाफ द्वारा धान में वाहन के सचिव कृषि उपज मंडी बरमकेला के सुपुर्द किया गया जहां मंडी अधिनियम के तहत अवैध धान पर कार्यवाही की गई है साथ ही सरिया पुलिस द्वारा चालक के विरुद्ध अप.क्र. 182/19 धारा 279 ता.हि. 130(3),146/196 मोटर व्हीकल एक्ट एवं धारा 102 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक आशीष वासनिक, प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव , आरक्षक पुष्पेंद्र जाटवर, प्रशांत पंडा एवं श्याम प्रधान की महती भूमिका रही है ।

स्ट्रांग रूम को किया गया सील

» 24 दिसम्बर को होगी मतगणना

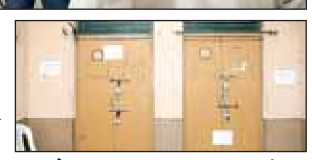

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 21 दिसम्बर को हुए मतदान के बाद नगर निगम रायगढ़ की मतपेटी को देर रात केआईटी कालेज में बने स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया। इसी तरह अन्य नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के भी मतपेटियों को संबंधित नगरीय निकायों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया। नगर पालिक निगम रायगढ़ हेतु मतपेटी के लिए स्ट्रांग रूम को सील करते समय सामान्य प्रेक्षक अनुराग पाण्डेय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.ए.कुरूवंशी, एसडीएम आशीष देवांगन एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीलिंग का कार्य किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशंवत कुमार ने बताया कि 24 दिसम्बर को मतगणना का कार्य आरंभ हो जाएगा। इसके लिए सुरक्षा से संबंधित समस्त प्रबंध किए गए है।

धान उपार्जन केंद्र में अनियमितता, दो आरोपी गिरफ्तार

कांकेर (आरएनएस)। पखांजूर धान उपार्जन केंद्र में अनियमितता के आरोपी प्रभारी प्रसनजीत सरकार पिता परिमल सरकार उम्र 23 वर्ष निवासी पखांजूर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर धान उपार्जन केंद्र पखांजूर आरोपी शंकर सरकार पिता सिसिर सरकार उम्र 38 वर्ष निवासी पखांजूर को को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड स्वीकृत कराया गया दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया।

छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह, श्रीमती शम्मी आबिदी अध्यक्ष मार्कफेड, श्री केएल चौहान कलेक्टर कांकेर एवं श्री भोजराम पटेल पुलिस अधीक्षक कांकेर ने पिव्ही 41 स्थित धान उपार्जन केंद्र पखांजूर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रारंभिक तौर धान उपार्जन केंद्र पिव्ही 41 पखांजूर में अनियमितता परिलक्षित होने पर प्रशासन द्वारा धान उपार्जन केंद्र की जांच की गई जांच में 2102 बारदाना कम होना पाया गया था। इस संबंध में कार्यवाही हेतु प्रार्थी ईश्वर लाल कड़ियाम अध्यक्ष लैम्प्स पखांजूर ने पीवी 41 धान उपार्जन केंद्र के केंद्र प्रभारी प्रसनजीत सरकार एवं कंप्यूटर ऑपरेटर शंकर सरकार के द्वारा धान उपार्जन में अनियमितता करने के संबंध में लिखित आवेदन थाना पखांजूर में प्रस्तुत किया था। जांच पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 191/19 धारा 188,409,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया, थाना पखांजूर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोपी धान उपार्जन केंद्र प्रभारी प्रसनजीत सरकार पिता परिमल सरकार उम्र 23 वर्ष निवासी पखांजूर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर धान उपार्जन केंद्र पखांजूर आरोपी शंकर सरकार पिता सिसिर सरकार उम्र 38 वर्ष निवासी पखांजूर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड स्वीकृत कराया गया दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कराया गया।

जागरूक नागरिकों ने अकेली महिलाओं को देखकर डायल 112 को दिए इवेंट

» कोतवाली और भूपदेवपुर राइनो को मिला गुम इंसान का इवेंट

न्याय साक्षी/रायगढ़। रेलवे स्टेशन के बाहर दिनांक 21.12.2019 के रात्रि ठंड में अकेली बैठी बुजुर्ग महिला को देखकर किसी जागरूक सज्जन ने डायल 112 को कॉल कर इवेंट दिया गया । इवेंट पर रात्रि 11:00 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंची कोतवाली (जूटमिल) राइनो -2 में आरक्षक डेहरू उरांव द्वारा बुजुर्ग

महिला से पूछताछ कर उसके घर के पते की जानकारी ली गई। बुजुर्ग महिला सावित्री सिंह (उम्र 60-65 वर्ष) ने कबीर चौक स्टेशन पारा की रहने वाली बताई जिसे आरक्षक श्वऋ्क्ष् वाहन से उसके घर लेकर गया। घर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो आरक्षक महिला को सखी सेंटर लेकर गया । जहां बुजुर्ग महिला जाने से इंकार कर फिर से ईआरव्ही वाहन में आकर बैठ गई जिसे आरक्षक डेहरू उरांव पुनः उसके घर लेकर आया और आस-पड़ोस के लोगो को उठाकर उनके घर परिवार के लोगों को जगाया और बुजुर्ग महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द किया ।

वही दूसरे मामले में दिनांक 21.12.2019 के रात्रि करीब 7:00 बजे भूपदेवपुर राइनो को परसदा में एक 30-35 साल की महिला को अकेली देखकर किसी जागरूक नागरिक ने डायल 112 को कॉल कर इवेंट दिया गया । इवेंट पर भूपदेवपुर राइनो में कार्यरत आरक्षक विनीत तिर्की मौके पर पहुंचा । गुम महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने से गांव के महिला समूह की सदस्यों व कोटवार को महिला के साथ लेकर ईआरव्ही वाहन में सखी सेंटर लेकर आया । जहां सखी सेंटर से महिला को चेकअप के लिए केजीएच भेजे जाने पर केजीएच में लाकर भर्ती कराया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480